



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. — 260
KM — 30
Delhi — 10
CPB — 220

सं. 358]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 20, 2004/श्रावण 29, 1926

No. 358]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 20, 2004/SRAVANA 29, 1926

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 533(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के पोत-परिवहन मंत्रालय, पत्तन पक्ष की दिनांक 21-06-2004 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 375(अ) और दिनांक 22-07-2004 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 468(अ) के साथ पठित दिनांक 14-05-2004 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 332(अ) के अनुक्रम में, केन्द्र-सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित को उक्त अधिसूचना के क्रमांक 16 के बाद, कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है :—

तालिका

17. श्री संजय मेहता, प्रबंध निदेशक, एस्सार शिपिंग लिमिटेड, एस्सार हाउस, 11, के. के. मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई-400034, इंडियन नेशनल शिपऑनर्स एसोसिएशन (आई एन एस ए) के प्रतिनिधि।

[फा. सं. पीटी-18011/13/2003-पीटी]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2004

G.S.R. 533(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Ports Wing, G.S.R. No. 332(E) dated 14-5-2004 read with G.S.R. No. 375(E) dated 21-6-2004 and G.S.R. No. 468(E) dated 22-7-2004, the Central Government hereby appoints the following as trustee after serial number 16 of the said Notification on the Board of Trustees for the Port of Kandla :—

TABLE

17. Shri Sanjay Mehta, Managing Director, Essar Shipping Ltd., Essar House, 11 K.K. Marg, Mahalaxmi, Mumbai-400 034, representing Indian National Shipowners' Association (INSA).

[F. No. PT-18011/13/2003-PT]

R.K. JAIN, Jt. Secy.